

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

-रीडर/ 2022/ 605

दिनांक :- 29/7/2022

मुकदमा नंबर 118/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नारायणराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जानियाना, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. गोपीराम पुत्र कोजाराम 2. जोगाराम पुत्र चिमनाराम सुथार 3. हुकमाराम पुत्र कुम्भाराम 4. जैसाराम पुत्र भीमाराम 5. जेठाराम पुत्र आईदानराम 6. चनणाराम पुत्र आईदानराम 7. नेनुदेवी पत्नी आईदानराम 8. नथुदेवी पत्नी बांकाराम जातियान जाट निवासी जानीयाना, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर 9. शाखा प्रबन्धक ओबीसी बैंक बालोतरा 10. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक बालोतरा 11. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 29.7.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जानियाना पटवारी क्षेत्र जानियाना भू-निरीक्षक क्षेत्र कनाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 352/84 रकबा 50 बीघा 04 किस्म बरानी दायम विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 606

दिनांक :- 29/7/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी,  
बालोतरा

